सं. 16/22/2015-रा0भा0(सेवा)
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
***

एनडीसीसी–II (नई दिल्ली सिटी सेंटर) भवन,
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001
दिनांक: **9 जून, 2016**

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में ।

राजभाषा विभाग समय-समय पर इस बात पर जोर देता रहा है कि तदर्थ/नियमित प्रोन्नति एवं स्थायीकरण आदि के मामलों की समय पर कार्रवाई किए जाने हेतु केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी वर्गों के अधिकारी/कर्मचारी अपनी वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट नियमानुसार निर्धारित समय में पूरी करें। प्रसंगित विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.07.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं0 21011/1/2005-स्था.(ए)(पार्ट-।।) के द्वारा कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट लिखने के मामले में एक निश्चित समय सीमा-निर्धारित की गई है। इस सीमित अवधि में अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपनी कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट पूरी करना एक जिम्मेदारी है। इस संबंध में राजभाषा विभाग ने 13 अक्टूबर, 2015 को एक समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया है।

2 संबंधित मंत्रालय/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों से अनुरोध है कि वे केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारी/कार्मिकों की वार्षिक कार्यनिष्पादान मूल्यांकन रिर्पोट हिंदी में लिखें तथा उसे राजभाषा विभाग को भेजने के समय संलग्न प्रपत्र के अनुसार घोषणा पत्र भी भेजें ।

संलग्नः- यथोपरि

9.6.16

(यशपाल देवगन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23438150

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को स्वीकार करने संबंधी विवरण

मैने ....की अवधि की एपीएआर................ तारीख को प्राप्त कर ली है/देख ली है और

1) मुझे प्रतिवेदन अधिकारी और समीक्षा अधिकारी द्वारा की गई प्रविष्टि के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन नहीं देना है |

☐

या

2) मुझे प्रतिवेदन अधिकारी और समीक्षा अधिकारी द्वारा की गई प्रविष्टि के विरुद्ध अभ्यावेदन देना है |

☐

दिनांक .... हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम:

अनुभाग/कार्यालय:

इस संबंध में आपको एपीएआर में की गई प्रविष्टियों एवं अंतिम ग्रेडिंग के विरुद्ध वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर अपना अभ्यावेदन/टिप्पणी देने का अवसर दिया जाता है | यह स्पष्ट है कि 15 दिनों के भीतर अभ्यावेदन/टिप्पणी प्राप्त नहीं होने पर, यह माना जाएगा कि आपको इस संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं देना है/कोई टिप्पणी नहीं करनी है | यदि वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रकटीकरण की तारीख से 15 दिनों के भीतर संबन्धित अधिकारी से कोई सूचना/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस एपीएआर को अंतिम माना जाएगा |